

नविवारक नरिध

प्रलिमिस् के लयि:

[सरवोच्च नयायालय, नविवारक नरिध, अनुच्छेद 22, उच्च नयायालय के नयायाधीश, दंडात्मक हरिसत, 'सार्वजनिक व्यवस्था', कानून और व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया बनाम बहिवार राज्य मामले, 1965](#)

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्त्व ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सरवोच्च नयायालय](#) ने माना है कि नविवारक नरिध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लयि केवल "रबर-स्टाम्पिंग प्राधिकारी" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहयि ।

- उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहयि जो राज्य द्वारा शक्ति के अनयितरति उपयोग के साथ ही व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो ।

नविवारक नरिध क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- नविवारक नरिध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में बरटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे ।
- [प्रथम विश्व युद्ध](#) शुरू होने पर [वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम](#) पारति कयिा गया था, और साथ ही [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के दौरान बनाए गए आपातकालीन नयिमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था ।
 - दोनों में नविवारक नरिध के प्रावधान हैं, यानी किसी व्यक्त को [वचिवरण और दोषसदिधि](#) के बना हरिसत में रखना ।

■ परिचय:

- [नविवारक नरिध](#) का अर्थ है किसी व्यक्त को नयायालय द्वारा वचिवरण एवं दोषसदिधि के बना हरिसत में लेना । इसका उद्देश्य किसी व्यक्त को [पूर्व अपराध के लयि दंडति करना नहीं](#) है बल्कि उसे निकट भवषिय में अपराध करने से रोकना है ।
- किसी व्यक्त की [हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं](#) हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत हेतु पर्याप्त कारण के लयि रिपोर्ट जारी नहीं करता है ।
- [नविवारक नरिध के लयि आधार:](#)
 - राज्य की सुरक्षा
 - लोक व्यवस्था
 - वदिशी मामले, आदि ।

■ हरिसत के दो प्रकार:

- [नविवारक नरिध](#) तब होता है जब किसी व्यक्त को केवल इस संदेह के आधार पर [पुलसि हरिसत](#) में रखा जाता है कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हाना पहुँचा सकते हैं ।
 - पुलसि के पास किसी भी व्यक्त पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हरिसत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजसिट्रेट की अनुमति के बना गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
- [दंडात्मक हरिसत](#) जिसका अर्थ है किसी दाण्डिक अपराध के लयि सजा के रूप में हरिसत में रखना । यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में कयिा गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयिा गया हो ।

■ सुरक्षा:

- [अनुच्छेद 22](#) गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है ।
 - दो प्रकार के हरिसत - पहला भाग सामान्य [कानूनी मामलों](#) से संबंधति है और दूसरा भाग [नविवारक नरिध के मामलों](#) से संबंधति

है।

- यह अनुच्छेद नविवारक नरिध कानूनों के लयि सलाहकार बोरुड के नरिमाण को अनविवार्य करता है, जसिमें **उचुच नुयायालय के नुयायाधीश** बनने के लयि योग्य वुक्ती शिामलि होते हैं।
- वभिनिन कानूनों के तहत, समीकषा बोरुडों को **प्रतुयेक तीन माह** में हरिसत के आदेशों का आकलन करना चाहयि, ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके कनिविवारक नरिध के लयि परयाप्त कारण हैं या नही। वे साकषुयों की जाँच करते हैं, यदआवश्यक हो तो अधकि जानकारी का अनुरोध करते हैं, हरिसत में लयि गए वुक्ती की बात सुनते हैं और फरि रपिरुट करते हैं कहरिसत उचति थी या नही।
- **हरिसत में लयि गए वुक्ती को उपलबुध सुरकषा उपाय:**
 - कसी वुक्ती को केवल **3 माह** के लयि **नविवारक हरिसत** में लयिा जा सकता है।
 - **सलाहकार बोरुड** की सुवीकृती के बाद ही हरिसत की अवधि को **3 माह** से अधकि के लयि बढाया जा सकता है।
 - बंदी को अपनी हरिसत के **कारणों को जानने का अधकिार** है।
 - हालाँकि, यदलोकहति में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से **इनकार** कर सकता है।
 - बंदी को उसकी हरिसत को **चुनौती** देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।
- **सापेकष नविवारक कानून:**
 - **लोकसुरकषा अधनियिम (PSA)**।
 - **सुवापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधनियिम (NDPS), 1985**।
 - **राष्टुरीय सुरकषा अधनियिम: NCRB** डेटा से पता चला है क **राष्टुरीय सुरकषा अधनियिम (NSA)** के तहत हरिसत में लयि गए लोगों की संखुया वरुष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई है।
 - **NSA** के तहत नविवारक हरिसत की संखुया वरुष **2020** में **741** पर पहुँच गई। जबकविरुष **2021** में यह संखुया घटकर **483** हो गई।
- **नविवारक हरिसत से संबंधति मुदुदे:**
 - **लोकतंतर पर प्रश्नचहिन:** वरुश्व के कसी भी लोकतांतरकि देश ने नविवारक हरिसत को संवधिान का अभनिन अंग नही बनाया है जसा क **भारत** में कयिा गया है।
 - **अतरिकित नुयायकि प्राधकिरण:** सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयुग अतरिकित नुयायकि अधकिार का प्रयुग करने के लयि करती हैं, जसिसे नविवारक हरिसत को लेकर चतिाएँ बढ जाती हैं।
 - **अनुय अधनियिमें का दुरुपयुग: गैर-कानूनी गतविधियिँ (रोकथाम) अधनियिम, 1967** जैसे कई कानून हैं जनिका दुरुपयुग नविवारक हरिसत के लयि कयिे जाने की संभावना है।
 - **सरकारी अधकिारयिँ द्वारा हेरफेर:** ज़लिा मजसिटरुट तथा पुलसि भी अकसर उभरती सांप्रदायकि झुडुपों या कनिही दो समुदायों के बीच हुई झुडुपों के दौरान कानून और वुववसुथा बनाए रखने के लयि संबंधति वुक्तियिँ को नयितरति करने के लयि उनुहें नविवारक हरिसत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सारुवजनकि अवुववसुथा न हुई हो।

नविवारक नरिध पर सरुवुचुच नुयायालय:

- **अमीना बेगम केस, 2023:** सरुवुचुच नुयायालय ने माना क नविवारक हरिसत **आपातकालीन सुथतियिँ के लयि एक असाधारण उपाय** है और इसे नयिमति रूप से इसुतेमाल नही कयिा जाना चाहयि।
 - नविवारक हरिसत का उदुदेशुय सज़ा देना नही है बलुक **राजुय की सुरकषा के लयि हानकिारक कसी भी चीज़ को रोकना** है।
- **अंकुल चंदर प्रधान केस, 1997:** इस मामले में इस बात पर बल दयिा गया कनिविवारक हरिसत का उदुदेशुय सज़ा देने के बजाय **राजुय की सुरकषा को नुकसान से बचाना** है।

सारुवजनकि वुववसुथा एवं कानून वुववसुथा कया है?

- **परचिय:**
 - **सारुवजनकि वुववसुथा** का तातुपरुय समाज के भीतर शांति, सुथरिता और सद्भाव बनाए रखना है, यह सुनशुचिति करना क गतविधियिँ और वुववहार समुदाय की समग्र कलुयाण या सुरकषा को बाधति न करे।
 - **सारुवजनकि वुववसुथा भी सुवतंतर भाषण और अनुय मौलकि अधकिारों को प्रतबिंधति करने का एक आधार** है।
- **सारुवजनकि वुववसुथा बनाए रखने की शकत:**
 - **सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटा 9** के तहत, भारत का संवधिान संसद को भारत की रकषा, वदिशी मामलों या सुरकषा से जुडे कारणों के लयि नविवारक हरिसत के लयि कानून बनाने की **वशिश शकत** प्रदान करता है।
 - **सूची III (समवरती सूची) की प्रवषिटा 3** के तहत, संसद और राज्य वधिानमंडल दोनों के पास **सारुवजनकि वुववसुथा** के रखरखाव या समुदाय के लयि आवश्यक आपूरुती या सेवाओं के रखरखाव से संबंधति कारणों से ऐसे कानून बनाने की शकतियिँ हैं।
 - संवधिान की **सातवी अनुसूची** की **राजुय सूची (सूची 2)** के अनुसार, सारुवजनकि वुववसुथा के पहलुओं पर कानून बनाने की शकत **राजुयों के पास** है।
- **सारुवजनकि वुववसुथा और कानून एवं वुववसुथा के बीच अंतर:**
 - सरुवुचुच नुयायालय ने **'सारुवजनकि वुववसुथा'** और **'कानून और वुववसुथा'** के बीच अंतर कयिा।
 - **राम मनोहर लोहयिा बनाम बहिरा राजुय मामले, 1965** में, सरुवुचुच नुयायालय ने माना क **'कानून और वुववसुथा'** की समस्या केवल कुछ वुक्तियिँ को प्रभावति करती है, लेकनि **सारुवजनकि वुववसुथा** के मुदुदे ने समुदाय या जनता को बडे पैमाने पर या यहाँ तक क **देश** को

भी प्रभावित किया है।

- 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर उनके दायरे की डगिरी एवं सीमा में नहित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने" की अभिव्यक्तियों के अंतर्गत लाने के लिये गतिविधियाँ ऐसी प्रकृत की होनी चाहिये कि सामान्य कानून उनसे निपट न सकें या समाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोक न सकें।

आगे की राह

- संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): नविवारक नरिोध प्रवधानों की समीक्षा के बाद वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दो सफारिशें दी गईं:
 - अनुच्छेद 22 के तहत हरिसत की अधिकतम अवधि छह महीने होनी चाहिये।
 - सलाहकार बोर्ड की संरचना में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होने चाहिये जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हों।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: जुलाई, 2022 में, तेलंगाना में एक चेन-सनैचर के लिये जारी नविवारक नरिोध आदेश को रद्द करते हुए, यह देखा गया कि राज्य को दी गई ये शक्तियाँ "असाधारण" थीं और चूँकि वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिये उनका उपयोग कम-से-कम किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन शक्तियों का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नयितरति करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

Drishti Mains Question

प्रश्न. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में नविवारक नरिोध तथा इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये।

वधिक अंतरदृष्टि: [नविवारक नरिोध की वैधता](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-5>

